प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.01.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 651 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 26.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान समाधी स्थल सबलूगढी रोड अशोक विहार से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त सलीम पुत्र नफीस निवासी सिल्वर सिटी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 651 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे नशीला पदार्थ गांजा दिल्ली से कम दामों में लाकर पुड़िया बनाकर चोरी-छिपे आसपास के क्षेत्रों में राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ, गांजा बेचकर मिले रूपयों से मैं अपने नशे व शौक पूरा करता हूँ। मैं गांजा की पुड़िया बनाकर बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -.

सलीम पुत्र नफीस निवासी सिल्वर सिटी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर एनडीपीएस एक्ट के 06 अभियोग पंजीकृत हैं व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

651 ग्राम अवैध गांजा (मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 27.01.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. दीपक पुत्र सेवाराम निवासी नीलम विहार झुग्गी झोपडी भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष व 2. पवन पुत्र सेवाराम निवासी नीलम विहार झुग्गी झोपडी भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को झुग्गी झोपडी नीलम विहार के पास से 02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक पुत्र सेवाराम व पवन पुत्र सेवाराम उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक पुत्र सेवाराम व पवन पुत्र सेवाराम उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों भाई है और झुग्गी झोपडी में रहते है तथा अपने पास गाँजा रखते हैं। उसी गाँजे में से छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बाहर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को बेचते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. दीपक पुत्र सेवाराम निवासी नीलम विहार झुग्गी झोपडी भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

2. पवन पुत्र सेवाराम निवासी नीलम विहार झुग्गी झोपडी भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक पुत्र सेवाराम व पवन पुत्र सेवाराम उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर अबकारी अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के अभियोग में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 26.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया की तहरीर के आधार पर दोनों अभियुक्तों द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर अवैध सम्बन्ध बनाने तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के सम्बन्ध में धारा 69,115(2),352,351(2),351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्तक्रम में आज दिनांक 27.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के अभियोग में 02 अभियुक्त 1. शाकिब खान पुत्र अनीश अहमद निवासी पीर कॉलोनी अर्थला नियर बडी मस्जिद मोहननगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष व 2. अनीश अहमद पुत्र शकीर अहमद निवासी पीर कॉलोनी अर्थला नियर बडी मस्जिद मोहननगर गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को पुराना अग्रवाल डीएलएफ के पास शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शाकिब खान पुत्र अनीश अहमद व अनीश अहमद पुत्र शकीर अहमद उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त शाकिब उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वादिया को मैं अपने प्रेम जाल में फसाकर तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाता रहा। जब उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा तो मै शादी करने लिए मना करने लगा और उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा। जिससे वादिया ने थाना शालीमार गार्डन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत करा दिया। आज मै अपने पिता अनीश अहमद के साथ अपनी दोस्त वादिया के घर जाने के लिए रिस्तेदार का इंतजार कर रहे थे ताकि हम उसे डरा धमकाकर समझा सके कि अपना मुकदमा वापस कर ले।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. शाकिब खान पुत्र अनीश अहमद निवासी पीर कॉलोनी अर्थला नियर बडी मस्जिद मोहननगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
2. अनीश अहमद पुत्र शकीर अहमद निवासी पीर कॉलोनी अर्थला नियर बडी मस्जिद मोहननगर गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 26.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी शरीफ पुत्र दीन मौहम्मद निवासी डी.एल.एफ ए-1/16 जी-3, दिलशाद एक्सटेंशन 02 गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के गेट की जाली काट कर घर में घुसकर 20,000/- रुपये, 01 मोबाइल फोन व 01 मोटर साइकिल को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में धारा 331(3),305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 27.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घर में घुसकर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त आसिफ पुत्र अब्बल निवासी गली न0 4 राजीव कॉलोनी डीएलएफ शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को ताहिरपुर कट के पास शालीमार गार्डन से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ पुत्र अब्बल उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ पुत्र अब्बल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि यह जो मोटर साइकिल मुझसे बरामद हुई है वो दिनांक 22.01.2025 की रात्रि में डी.एल.एफ ए-1/16 जी-3, शालीमार गार्डन के 01 घर के गेट की जाली काटकर घर में घुसकर 20,000/- रुपये, 01 मोबाइल फोन व 01 मोटर साइकिल चोरी की थी। 20,000/- रुपये मैने नशा करने में खर्च कर दिये व मोबाइल फोन को मैने चलते-फिरते व्यक्ति को 2,000/- रुपये में बेच दिया था और जो पैसे मिले वो शौक मौज में खर्च कर दिए तथा कुछ दिन पहले बुध बाजार रोड़ शालीमार गार्डन में ऑटो रिक्शा में बैठ कर जा रही एक महिला से मैं 01 मोबाइल फोन छीन कर भाग गया था वो भी मैने चलते-फिरते कबाडी को 1,500/- रुपये में बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-
आसिफ पुत्र अब्बल निवासी गली न0 4 राजीव कॉलोनी डीएलएफ शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ पुत्र अब्बल उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर घर मे घुसकर चोरी करनें के सम्बन्ध में 01 अभियोग व मोबाइल छिनैती के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के वाँछित / 25-25 हजार रूपये के पुरूस्कार घोषित दो अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 25 लाख रूपये का माल बरामद

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जिओ व एयरटेल कम्पनी के मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले गिरोह के 07 सदस्यों को पूर्व में थाना वेवसिटी गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जिनके कब्जे से भारी मात्रा में आर0आर0यू0, बी0बी0यू0 व अन्य उपकरण व चोरी करने मे प्रयुक्त गाडियाँ बरामद हुई थी। यह गिरोह गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब व मध्यप्रदेश में जिओ व एयरटेल कम्पनी के मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी कर उसे भारी दामों मे विदेशों में बेचते थे।

दिनाँक-26/01/2025 को उक्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य तथा थाना वेव सिटी से वाँछित / पुरूस्कार घोषित शातिर 02 अभियुक्त कासिम व गोल्डी उर्फ फरहान को थाना वेवसिटी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्तो से मोबाइल टावरों से चोरी 02 रेडियो रिसीवर यूनिट व 04 बेसबैण्ड यूनिट बरामद हुई है। जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये है । **गिरफ्तार अभियुक्तो की गिरफ्तारी पर डी0सी0पी0 ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा 25-25 हजार रूपये का पुरूस्कार पूर्व से घोषित है ।**

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त कासिम ने बताया कि वह कक्षा 5 तक पढा है उसके बाद उसने पढाई छोड दी थी और अपने पिता की प्लास्टिक के सामान (बाल्टी, टब इत्यादि) बेचने की दुकान पर काम करने लगा । इसी बीच कासिम की मुलाकात हिण्डन विहार के रहने वाले फरमान से हुई जिसने उसे मोबाइल टावरों के आर0आऱ0यू0, बी0बी0यू0 व अन्य उपकरणों के बारे में बताया कि इन उपकरणों को चोरी करके बेचने में काफी मुनाफा होता है । फरमान ने कासिम को गोल्डी उर्फ फरहान, साहिल, कय्यूम, राहुल, जाकिर, जावेद व अनस से मिलवाया जो मोबाइल टावरों से आर0आर0यू0 व अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की चोरी करते थे । गोल्डी उर्फ फरहान ने पूछने पर बताया कि उसने 12वीं तक पढाई करने के बाद पढाई छोड दी थी और लकडी के फर्नीचर बनाने का काम करने लगा था करीब 02 वर्षो से काम नही मिलने से पैसो की तंगी होने से काफी परेशान था तभी उसकी मुलाकात हिण्डन विहार निवासी फरमान से हुई जिसने उसे मोबाइल टावरों के आर0आऱ0यू0, बी0बी0यू0 व अन्य उपकरणों के बारे बताया कि इन उपकरणों को चोरी करके बेचने में काफी मुनाफा होता है । फरमान ने ही गोल्डी उर्फ फरहान व कासिम को जाकिर, जावेद व अनस से मिलवाया जो मोबाइल टावरों से आर0आर0यू0 व अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की चोरी करते थे । गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों ने बताया कि वह दोनो गाडी किराये पर लाते थे और गाडी से ये लोग पूर्व से रैकी किये हुए मोबाइल टावर पर जाते थे, राहुल इलैक्ट्रिक का काम जानता था इसीलिए इसको गोल्डी उर्फ फरहान ने गिरोह मे मिलाया था, ये लोग अपने साथियों के साथ मोबाइल टावरों पर चढकर हाईड्रोलिक कटर से आर0आर0यू0 के केबिलों को काटकर आर0आर0यू0 व बी0बी0यू0 उतारकर चोरी करने लगे । चोरी का माल लेकर उसे सुरक्षित तरीके से इरशाद व वसीम को देते थे जिसमें एक आर0आर0यू0 की चोरी में हर एक को 10-15 हजार रू0 का फायदा होता था ।

कासिम व गोल्डी उर्फ फरहान ने यह भी बताया कि मोबाइल टावरों से आर0आर0यू0, बी0बी0यू0, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को चोरी करने से लेकर देश से बाहर भेजने तक फईम मलिक व नईम मलिक का एक संगठित गिरोह है, फईम व नईम के गिरोह में हमारे अलावा शाहरूख मलिक, वसीम मलिक, अनवर मलिक, अनस, साहिल मलिक, कय्यूम, जावेद, जाकिर, राहुल, हाजी जावेद, खालिद उर्फ मुल्ला व इरशाद गिरोह के सक्रिय सदस्य है । हमारा गिरोह पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करता है ।

पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। अब तक क्राइम ब्रान्च द्वारा मोबाइल टावरो से चोरी करने वाले गैंगो के करीब 47 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में मोबाइल टावरों के उपकरणों की बरामदगी की जी चुकी है। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कासिम मलिक पुत्र गुलजार मलिक निवासी 45 फुटा रोड आयशा मस्जिद के पास हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष
2. गोल्डी उर्फ फरहान पुत्र सलीम निवासी 45 फुटा रोड आयशा मस्जिद के पास हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण –

1.मोबाइल टावरों से चोरी रेडियो रिसिवर यूनिट-02

2.मोबाइल टावरों से चोरी बेसबैण्ड यूनिट- 04

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त कासिम के विरूद्ध गाजियाबाद में 03 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त गोल्डी उर्फ फरहान के विरूद्ध गाजियाबाद मे 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वादी व वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 26.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी देवेन्द्र गुप्ता निवासी यूजी-2-11/70 सेक्टर -3 राजेन्द्रनगर साहिबाबाद के द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय द्वारा एकत्रित होकर मेरे व मेरे परिवार के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई है। जिससे मेरे बेटों की काफी चोटें भी आयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर धारा 191(2),191(3),127(2),115(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 27.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वादी व वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. सैफ सैफी पुत्र श्री अय्यूब अली निवासी म0 न0 979 पसौंडा नियर नई मस्जिद के पास थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष, 2. शिवम पुत्र श्री सुरेश वर्मा निवास बी 97 कृष्णा विहार कुटी पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष, 3. अर्चित पुत्र मनोज कुमार निवासी 345 गली न 15 अशोक वाटिका थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष व 4. विकास भाटी पुत्र सतबीर भाटी निवासी 350 गली न 15 अशोक वाटिका थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को पुराना करन गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दिनांक 25.01.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त व अन्य साथियों द्वारा वादी व वादी के पुत्र के साथ गाली–गलौच कर मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सैफ सैफी पुत्र श्री अय्यूब अली निवासी म0 न0 979 पसौंडा नियर नई मस्जिद के पास थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
2. शिवम पुत्र श्री सुरेश वर्मा निवास बी 97 कृष्णा विहार कुटी पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
3. अर्चित पुत्र मनोज कुमार निवासी 345 गली न 15 अशोक वाटिका थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
4. विकास भाटी पुत्र सतबीर भाटी निवासी 350 गली न 15 अशोक वाटिका थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।